

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अधीकारी मुकाम नीमराना
 ओम वीर बनाम इठावीर
 शर्चना पत्र 212 RTA. नं० 77 सन 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामिल
 में जारी हुए

10-3-21 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। शर्चना पत्र दर्ज रजि. है। वकील शर्चा उप०। वकील शर्चा की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णता अति शर्चा के पक्ष में होना प्रतीत होती है।

अतः अशर्चागण की अस्थाई विवेचना में आगामी तिथि तक वाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आ० ख० न० हाल 305, 352, 858 व 834, 840, 1443, 1454, 1444, 1453 वाले ग्राम कांकर तह० नीमराना जिला - अलवर (राज०) के मौका व रिकार्ड की प्रथाशर्ति बनाए रखें। इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं या पुरी अधिवक्ता हाजर अदालत आकर अपना जवाब पेश कर अशर्चागण को नोटिस जारी कर बाद तलाबी पत्रावली दिनांक 20-4-21 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी
 नीमराना (अलवर) राज०

11-9-23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील पत्नीको
उस की पीछरीय अधिकारी 3-क्याटे
मिटिंग में पधारें है। पत्रावली इसके
समय दि० 8-1-23 को पेश हो ॥

आज पत्रावली पेश हुई। वकील पत्नीको
उस की पीछरीय अधिकारी 3-क्याटे
मिटिंग में पधारें है। पत्रावली इसके
समय दि० 4-1-24 को पेश हो ॥

04-01-24

आज यह पत्रावली पेश हुई पार्थी को
वकील उपस्थित है लक्ष्मी को समय
चाहते है। पत्रावली वादो रंदि लक्ष्मी
दिनांक 13-03-24 को पेश हो

उपस्थंड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बरोड़)

सावित्री सिंह
शारीराम
कोठारी
गणेश
16/1/24

16-1-24 आज यह पत्रावली मूल वाद
के साथ पेश हुई। पत्रावली मूल वाद
में रवारिज हो चुका है।
पार्थी ने प्रार्थना भी नोट प्रेस किया
है। अतः पार्थी का प्रार्थना नोट प्रेस
में रवारिज किया जाता है। पत्रावली
फैरल सुमार दोकर नम्बर से कम है
अलग मूल वाद रहे।

उपस्थंड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बरोड़)

मध्य इतिहासकार जनक
कोटपूतली-बरोड़
दिनांक 16/1/24